

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0न0-103/2017

उनवान-सरकार बनाम मोहन सिंधल वगैरा (मै0श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स बाडी)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0एक्ट 2006 नियम 2011)

निर्णय

दिनांक - 10.02.2018

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण संख्या-1 श्री मोहनसिंधल (पार्टनर एवं विक्रेता) मैसर्स श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स बाडी एवं मैसर्स जीएम फार्मा प्लॉट न0 112ए श्याम वाटिका सुमेल आगरा रोड जयपुर 2-श्री हरीओम वंसल पार्टनर मैसर्स श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स बाडी जिला धौलपुर 3-श्री जयराम सिंह प्रो0 मैसर्स जीएम फार्मा प्लॉट न0 112ए श्याम वाटिका सुमेल आगरा रोड जयपुर 4-मैसर्स जीएम फार्मा प्लॉट न0 112ए श्याम वाटिका सुमेल आगरा रोड जयपुर 5-श्रीमती कमल दुआ प्रो0 मैसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीय नगर जयपुर 6-श्रीमती हरीता सिंह प्रो0 मैसर्स फार्मा बाईलोजिकल 2/7 मालवीय नगर जयपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में कार्टून के अन्दर रखे 200-200 ग्राम के 20 डिब्बे Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) देखने पर मिलावट/मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से 12 डिब्बे प्रत्येक 200 ग्राम ज्यों के त्यों वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदे। अप्रार्थी ने उक्त Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया। अप्रार्थी विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र वर्ष 2016 दिखाते को कहा तो उसने रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) नमूना डी-1162 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2016 के अनुसार उक्त Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) का क्रय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 3 से क्रय करना बताया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अग्रिम क्रय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या संख्या-5 से क्रय किया जाना बताया तथा अप्रार्थी संख्या-5 ने अग्रिम क्रय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या-6 से क्रय करना बताया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री अभिषेक सिंह चौहान उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण के अभिभाषक को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) मिसब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण Proti-Gem-DHA (Health Supplement Powder) मिसब्राण्ड बेचने के दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण मोहनसिंधल (पार्टनर एवं विक्रेता) मैसर्स श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स बाडी एवं मैसर्स जीएम फार्मा प्लॉट न0 112ए श्याम वाटिका सुमेल आगरा रोड जयपुर वगैरा पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 12000/-रुपये (बारह हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

